

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 11/2017

अनवान

01. भगवतीदेवी पत्नि स्व. गोपाललाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. जगदीश पिता स्व. गोपाललाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. दिनेश पिता स्व. गोपाललाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. कृष्णा पुत्री स्व. गोपाललाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. दुर्गा पुत्री स्व. गोपाललाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादी

बनाम

01. योगेश पिता स्व. रतनलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनील बाकलीवाल अधिवक्ता वादीगण

श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13.12.2018

डिक्री दिनांक : 28.05.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी अधिवक्तावादी श्री सुनील बाकलीवाल व वकील प्रतिवादी श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम पुरोहितों का खेड़ा स्थित आराजी नं0 538 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वां भूमि का ही विभाजन किया जाकर निम्नानुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	जगदीश, दिनेश पिता गोपाललाल, कृष्णा, दुर्गा पुत्रिया गोपाललाल, भगवतीदेवी पत्नी गोपाललाल सा. बिजौलियां खातेदार	पुरोहितो का खेड़ा	538/2	4.03		6.64
	योग		किता 01	4.03		6.64
02	योगेश पिता रतनलाल ब्राह्मण सा. बिजौलियां खातेदार	पुरोहितो का खेड़ा	538/1	4.04		6.72
	योग		किता 01	4.04		6.72

नोट :- ग्राम मण्डोल की आराजी 368/128 एवं 359/129 के सम्बन्ध में वकील वादी द्वारा विभाजन नहीं चाहने से तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। एवं वकील वादी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को नोन ज्यूडिसियल स्टाम 50 का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 28.05.2019 को जारी की गयी।

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नोट :- प्रकरण में निर्णय दिनांक 21.05.2019 को प्रसारित किया गया। निर्णय की अनुपालना में वादी द्वारा नोन ज्यूडिसियल स्टाम 100 का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 31.05.2019 को जारी की गयी।

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nilखर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख १३ माह 05 वर्ष 2019 को जारी किया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
विजौलिया - नीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
विजौलिया - नीलवाड़ा